

का.आ. 531(अ).—जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 6 जून, 1996 की अधिसूचना सं० सां० आ० 399(अ०)द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सर्वोदय आरोग्य निधि हाइवे, राधनपुर (बनास कांठा) गुजरात-385340 द्वारा राधनपुर, गुजरात एवं राजस्थान में सर्वोदय नेत्र अस्पताल/नेत्र शिविर के लिए आंख के ऑपरेशन, गृह/उपकरणों/यंत्रों की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 7 पर विनिर्दिष्ट किया था, और जिसे कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 21 अगस्त, 2000 की अधिसूचना सं०सां०आ० 869 (अ०) द्वारा आगे बढ़ाया गया था ।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोदय आरोग्य निधि, हाईवे, राधनपुर, (बनास कांठा) गुजरात-385340, द्वारा राधनपुर, गुजरात एवं राजस्थान में सर्वोदय नेत्र अस्पताल /नेत्र शिविर के लिए आंख के ऑपरेशन गृह/उपकरणों/यंत्रों की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र सड़सठ लाख रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है ।